	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक
	संक्षिप्त कार्य विवरण
	चतुर्थ विधान सभा अष्ठम सत्र अंक-03

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई, 2016</u>

(आषाढ़ 22, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 एवं 08 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न संख्या 03 एवं 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम तथा श्री टी.एस. सिंहदेव के स्थान पर क्रमश: श्री भोलाराम साहू एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री जनकराम वर्मा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित एवं 46 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2, दिनांक 16 सितम्बर, 2013
(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 3-21/खाद्य/2012/29-2, दिनांक 5 मार्च, 2015
(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/खाद्य/2013/29-2, दिनांक 27 मार्च, 2015 तथा
(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-43/खाद्य/2014/29-2, दिनांक 29 जुलाई, 2015

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-
(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य, दिनांक 1 अप्रैल, 2013
(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य, दिनांक 9 अप्रैल, 2013
(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य, दिनांक 9 अप्रैल, 2013
(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य, दिनांक 15 अप्रैल, 2013
(v) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2013/29/खाद्य-2, दिनांक 28 सितम्बर, 2013
(vi) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2013/29/खाद्य-2, दिनांक 28 सितम्बर, 2013
(vii) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2, दिनांक 1 जनवरी, 2014 तथा
(viii) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2, दिनांक 8 जनवरी, 2014

पटल पर रखे।

4. व्यवस्था का प्रश्न

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पटल पर रखी गयी अधिसूचनाओं के संबंध में श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा आपत्ति ली गई कि विधेयक लागू करने के लिए यदि उसके नियम बन गये हैं तो नियम बनने के बाद जो विधान सभा के प्रथम सत्र में उन नियमों को सभा पटल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्ष 2013 के नियम/अधिसूचनाएं अभी पटल पर रखी जा रही है।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि इन अधिसूचनाओं का परीक्षण प्रत्यायुक्त विधान समिति भी करेगी कि नियम अधिनियम की मंशा के अनुरूप भी बने हैं या नहीं। और यह भी कि समय पर प्रस्तुत किये या नहीं। यदि विलंब से प्रस्तुत किए हैं तो उसके क्या कारण हैं? इस पर समिति अपना प्रतिवेदन भी देगी।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष उपाध्याय, सदस्य ने राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राजिम नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री दीपक बैज, बघेल लखेश्वर, श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य ने प्रदेश के प्राचीन मंदिरों से पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों एवं वस्तुओं की चोरी होने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, संस्कृति मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने आरंग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत परसदा (सेमरिया) में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत स्मार्ट कार्ड नही बनाये जाने,

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ सामान्य वन मंडल में कार्यरत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न किये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

8. वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय सभापति ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए गुरूवार, दिनांक 14 जुलाई, 2016 की तिथि निर्धारित की।

9. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में खाद-बीज की कमी एवं नकली खाद की बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, बृहस्पत सिंह (जारी)

(1.30 से 2.35 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), मोहन मरकाम, डॉ. खिलावन साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतराम नेताम, (डॉ) सनम जांगड़े, दलेश्वर साहू, नवीन मारकण्डेय, अमरजीत भगत, अशोक साहू, दीपक बैज, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री भोलाराम साहू, शिवरतन शर्मा, भूपेश बघेल, डॉ. विमल चोपड़ा।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 5 का कार्य समाप्त होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सांय 6.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 14 जुलाई, 2016 (आषाढ़ -23, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा